समाहरणालय, मधुबनी

(जिला स्थापना शाखा)

—: आ दे श :—

वरीय उप समाहर्त्ता, जिला सामान्य शाखा, मधुबनी के पत्रांक 15/जि0सा0, दिनांक 01.11.2012 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री सत्येन्द्र कुमार कर्ण, तत्कालिन लिपिक, जिला सामान्य शाखा, मधुबनी दिनांक 17.09.2012 से अद्यतन कार्यालय से अनुपस्थित हैं। इनके द्वारा कार्यालय में निरंतर उपस्थित नहीं होने से कार्यालय कार्य प्रभावित हो रहा है तथा कार्य लंबित होता जा रहा है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि श्री कर्ण के जगह पर किसी अन्य लिपिक को जिला सामान्य शाखा में पदस्थापित किया जाय, ताकि कार्य सुचारू रूप से सम्पादित किया जा सके। उक्त प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर वरीय उप समाहर्त्ता, जिला सामान्य शाखा, मधुबनी से इस कार्यालय के पत्रांक 1826/जि0स्था0, दिनांक 04.12.2012 द्वारा श्री कर्ण के विरूद्ध अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिये आरोप प्रपत्र—'क' में गठित कर भेजने का निदेश दिया गया।

वरीय उप समाहर्त्ता, जिला सामान्य शाखा, मधुबनी के पत्रांक 781/जि0सा0, दिनांक 31.05.2013 द्वारा श्री सत्येन्द्र कुमार कर्ण, पूर्व लिपिक, जिला सामान्य शाखा, मधुबनी सम्प्रति— प्रखंड कार्यालय, कलुआही के विरूद्ध अनाधिकृत अनुपस्थिति तथा संचिकाओं एवं कागजातों का निष्पादन लंबित रखने के आरोप में आरोप प्रपत्र—'क' में गठित कर भेजी गयी। तदालोक में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 1554/जि0स्था0, दिनांक 19.10.2013 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी के रूप में श्री गुप्तेश्वर प्रसाद, अपर समाहर्त्ता, मधुबनी एवं उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में वरीय उप समाहर्त्ता, जिला सामान्य शाखा, मधुबनी को नियुक्ति की गयी। संचालन पदाधिकारी को 90 दिनों के अंदर विभागीय कार्यवाही का विधिवत संचालन कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

संचालन पदाधिकारी—सह—अपर समाहर्त्ता, मधुबनी के पत्रांक 27/रा0गो0, दिनांक 05.02.2014 द्वारा श्री सत्येन्द्र कुमार कर्ण, पूर्व लिपिक, जिला सामान्य शाखा, मधुबनी सम्प्रति— प्रखंड कार्यालय, कलुआही के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरान्त अभिलेखबद्ध जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ भेजी गयी। उनके द्वारा दिनांक 05.02.2014 को अंतिम सुनवाई करते हुये अभिलेखबद्ध जाँच प्रतिवेदन में आरोप, आरोपी का स्पष्टीकरण तथा उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य एवं संचालन पदाधिकारी का मंतव्य निम्न प्रकार अंकित किया गया है :—

आरोप संख्या—1

श्री सत्येन्द्र कुमार कर्ण, लिपिक, जिला सामान्य प्रशाखा, का दिनांक 17.09.2012 से अनाधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित रहना।

आरोप का स्पष्टीकरण :—

ऐसा नहीं है। मैं पत्नी की ईलाज के क्रम में यदा—कदा अनुपस्थित रहा परन्तु अनधिकृत रूप से नहीं।

उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य :—

उपस्थिति पंजी की छायाप्रति (क्रमांक 43 से 59 तक संलग्न) इससे स्पष्ट होता है कि लिपिक श्री कर्ण अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे।

संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन/मंतव्य

उपस्थापन पदाधिकारी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि श्री कर्ण अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। इसलिये श्री कर्ण का स्पष्टीकरण इस बिन्दु पर स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है।

आरोप संख्या–2

श्री कर्ण के जिम्मे संचिकाओं एवं कागजातों का निष्पादन प्रभार अवधि में लंबित रहना।

आरोप का स्पष्टीकरण :–

यह भी सत्य से परे है। प्रभार के क्रम में मैं संचिका एवं अन्य कार्यों का निश्चित रूप से सम्पादन करता रहा।

उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य :–

इस कार्यालय के पत्रांक 15, दिनांक 01.11.2012 की छायाप्रति जो जिला पदाधिकारी महोदय, मधुबनी को प्रेषित है। (क्र0 21 संलग्न) जिसमें उल्लेखित है कि अनुपस्थित अवधि में संचिका एवं अन्य कागजात इनके पास होने के कारण कार्य निष्पादन लंबित रहा।

संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन/मंतव्य :–

उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत कागजी साक्ष्य से स्पष्ट है कि श्री कर्ण की अलधिकृत अनुपस्थिति के कारण संचिकायें लंबित रही। इसलिए श्री कर्ण का आरोप संख्या–02 पर दिया गया स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है।

आरोप संख्या–3

श्री कर्ण, लिपिक द्वारा विधिवत् योगदान समर्पित नहीं किया जाना।

आरोप का स्पष्टीकरण :–

यह भी सत्य से परे है। अगर ऐसा होता तो मुझे उक्त माह का वेतन भुगतान नहीं किया जाता।

उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य :–

श्री कर्ण के द्वारा योगदान देने संबंधी आवेदन कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है। स्पष्टीकरण क्रमांक–03 के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 336, दिनांक 23.01.2014 के द्वारा प्रतिवेदन की माँग की गयी थी, के आलोक में स्थापना उप समाहर्त्ता, मधुबनी के पत्रांक 143, दिनांक 30.01.14 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि स्पष्टीकरण की कंडिका–03 पूर्ण रूप से तथ्यहीन है। क्योंकि श्री कर्ण, लिपिक के माह अक्टूबर, 2012 एवं माह दिसम्बर, 2012 में दिनांक 01.12.12 से दिनांक 14.12.12 तक के वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। श्री कर्ण माह सितम्बर, 2012 में दिनांक 17.09.12 से दिनांक 30.09.12 तक अनुपस्थित है। लेकिन ससमय अनुपस्थिति विवरणी प्राप्त नहीं होने के कारण पूर्ण माह के वेतन भुगतान किया गया है।

संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन/मंतव्य :–

श्री कर्ण का स्पष्टीकरण है कि उन्होंने योगदान समर्पित किया इनका यह भी दलील है कि यदि ऐसा होता तो उन्हें उक्त माह का वेतन भुगतान नहीं किया जाता, किन्तु उपस्थापन पदाधिकारी का कथन है कि समय पर अनुपस्थिति विवरणी प्राप्त नहीं हाने के कारण पूर्ण माह का वेतन भुगतान किया गया है। इस बिन्दु पर श्री कर्ण का स्पष्टीकरण आंशिक स्वीकार योग्य माना जा सकता है।

आरोप संख्या–4

बिना योगदान स्वीकृत कराये उपस्थिति पंजी में उपस्थिति दर्ज करना।

आरोप का स्पष्टीकरण :–

मेरे द्वारा दिनांक 18.12.12 को समर्पित योगदान संबंधी आवेदन जिसका क्रमांक 894 में प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला सामान्य प्रशाखा का हस्ताक्षर स्वतः स्पष्ट है।

उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य :

उपस्थिति पंजी की प्रतिलिपि का कृपया अवलोकन किया जा सकता है, जिसमें श्री कर्ण के द्वारा दिनांक 17.12.12 से उपस्थिति दर्ज है, परन्तु श्री कर्ण के द्वारा योगदान समर्पित करने संबंधी आवेदन नहीं दिया गया है। इनके द्वारा दिनांक 20.12.2012 को जिला जनता दरबार में एक आवेदन समर्पित किये हैं, जो क्रमांक 29 से 32 तक संलग्न।

उपस्थापन–पदाधिकारी–सह–वरीय उप समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य प्रशाखा का मंतव्य है कि श्री सत्येन्द्र कुमार कर्ण, लिपिक का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है।

संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन/मंतव्य :–

उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा समर्पित साक्ष्य के अनुसार श्री कर्ण के द्वारा दिनांक 17.12.12 से उपस्थिति दर्ज है। योगदान आवेदन पत्र के संबंध में श्री कर्ण का कथन है कि योगदान समर्पित करने के पश्चात ही उन्होंने उपस्थिति पंजी में अपनी उपस्थिति दर्ज किया है। किन्तु कार्यालय का कथन है कि बिना योगदान समर्पित किये ही उपस्थिति पंजी में उपस्थिति दर्ज कर लिये। श्री कर्ण ने अपने योगदान पत्र पर प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला सामान्य प्रशाखा का हस्ताक्षर स्वतः स्पष्ट है। हालांकि अपने कथन के समर्थन में श्री कर्ण ने साक्ष्य प्रस्तुत नही किया। मात्र साक्ष्य के लिए समयावेदन ही देते रहे। इस लिए साक्ष्य के आभाव में श्री कर्ण के कथन का मात्र दलील माना जा सकता है। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं माना जा सकता है।

इस प्रकार प्रपत्र–"क" में गठित आरोप, आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरण एवं उपस्थापन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्तुत साक्ष्य के आधार विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में मैंने पाया कि आरोप संख्या–01 एवं 2 पूर्ण प्रमाणित तथा आरोप संख्या–03 एवं 04 आंशिक प्रमाणित है।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति इस कार्यालय के ज्ञापांक 171/जि0स्था0, दिनांक 21.01.2016 द्वारा श्री सत्येन्द्र कुमार कर्ण, पूर्व लिपिक, जिला सामान्य शाखा, मधुबनी सम्प्रति– प्रखंड कार्यालय, कलुआही को प्रमाणित आरोपों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 2005 के नियम – 18(3) के आलोक में 15 दिनों के अंदर द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी।

संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, मधुबनी के पत्रांक 27/रा0गो0, दिनांक 05.02.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के फलस्वरूप तथा अंतिम फलाफल पर निर्णय लिये जाने के बीच में श्री कर्ण दिनांक 30.06.2014 को सेवानिवृत हो गये। सेवानिवृत्योपरान्त इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन स्वतः परिवर्तित होकर बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के अंतर्गत संचालित करने एवं तदनुसार एतद् सम्बन्धी विचारण करते हुये उक्त नियम के आलोक में अंतिम आदेश पारित करने का निर्णय इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 170/जि0स्था0, दिनांक 21.01.2016 द्वारा लिया गया।

श्री सत्येन्द्र कुमार कर्ण, पूर्व लिपिक, जिला सामान्य शाखा, मधुबनी सम्प्रति– प्रखंड कार्यालय, कलुआही द्वारा दिनांक 27.01.2016 को जिला स्थापना शाखा, मधुबनी में द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया। श्री कर्ण से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा में उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि :–

क्र.	आरोप	उत्तर
1.	दिनांक 17.09.2012 से जिला सामान्य शाखा मधुबनी से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे हैं।	ऐसा नहीं है मैं पत्नी की ईलाज के क्रम मे यदाकदा अनुपस्थित रहा हूँ। परन्तु अनाधिकृत रूप से नहीं।
2.	श्री कर्ण के जिम्मे संचिकाओं एवं कागजातों का निष्पादन प्रभार अवधि तक लंबित रहना।	यह भी सत्य से परे प्रभार के क्रम में मैं संचिका एवं अन्य कार्यों का निश्चित रूप से सम्पादन करता रहा।
3	श्री कर्ण लिपिक द्वारा विधिवत योगदान समर्पित नहीं करना।	यह भी सत्य से परे है। अगर ऐसा होता तो मुझे उक्त माह का वेतन भुगतान नहीं किया जाता।
4	बिना योगदान स्वीकृत कराये उपस्थित पंजी में उपस्थिति दर्ज करना।	श्री कर्ण द्वारा दिनांक 18.12.2012 को समर्पित योगदान संबंधी आवेदन जिसका क्रमांक 694 है, में प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला सामान्य शाखा का हस्ताक्षर स्वतः स्पष्ट है।

ज्ञातव्य है कि मैं दिनांक 30.06.2014 को प्रखंड कार्यालय, कलुआही मधुबनी से सेवानिवृत हो चुका हूँ। सेवानिवृति के पश्चात देय सेवान्त लाभ यथा पेंशन, उपादान आदि का भुगतान करीब दो साल से लंबित है। मैं स्वयं मधुमेह एवं हृदय रोग से पीड़ित हूँ। जिसका ईलाज चल रहा है। मेरी पत्नी भी हमेशा बीमार रहा करती है। मैं संतान विहीन होने के कारण सेवा अवकाश के बाद अत्यंत आर्थिक कठिनाई से जूझ रहा हूँ। बुढ़ापा में मात्र पेंशन ही एक सहारा है। पैसे के आभाव में अपना एवं पत्नी का ईलाज में भी अत्यंत कठिनाई हो रही है। साथ ही पैसा के आभाव में दवा खरीदने एवं खाने–पीने में भी घोर कष्ट का सामना करना पड़ रहा है।

अतः विनम्र निवेदन है कि मुझे आरोप से मुक्त करने की महत्ती कृपा की जाए जिससे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा पेंशन, उपादान आदि भुगतान हेतु अग्रिम कार्रवाई किया जा सके।

श्री सत्येन्द्र कुमार कर्ण, पूर्व लिपिक, जिला सामान्य शाखा, मधुबनी सम्प्रति– प्रखंड कार्यालय, कलुआही से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा में उल्लेखित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा अपने बचाव में बनावटी एवं मनगढ़ंत बातों का उल्लेख किया गया है, जो तथ्यहीन है। आरोपी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा (स्पष्टीकरण) स्वीकार योग्य नहीं रहने के कारण इसे अस्वीकृत किया जाता है। इनका यह आचरण सरकारी सेवक के लिये अशोभनीय है एवं इनके अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं संचिकाओं का ससमय निष्पादन नहीं करना सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास और कार्यों के निष्पादन में शिथिलता बरती गयी है तथा इनके द्वारा सरकारी कार्य में भी रूचि नहीं ली गयी तथा विभागीय कार्य को भी नजरअंदाज किया गया है। जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली–1976 के नियम–3(1) में निहित निर्देशों का पूर्ण उल्लंघन है। एतद् सम्बन्धी उपरोक्त विवेचित कृत के लिये इन्हें दंडित किया जाना आवश्यक है।

अतएव उपरोक्त प्रमाणित आरोपों के लिये श्री सत्येन्द्र कुमार कर्ण, पूर्व लिपिक, जिला सामान्य शाखा, मधुबनी सम्प्रति– प्रखंड कार्यालय, कलुआही को सम्यक विचारोपरान्त बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम–43(बी0) एवं नियम–139(ख) में निहित प्रावधानानुसार मैं गिरिवर दयाल सिंह, भा0प्र0से0, जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, मधुबनी इस आदेश निर्गमन की तिथि से पेंशन की 5(पाँच) प्रतिशत राशि जीवनपर्यन्त रोकने का दंड देता हूँ क्योंकि सेवा में बने रहने की स्थिति में इनके इस कृत के कारण वर्खास्तगी का दंड मिलता। इस आशय की प्रविष्टि श्री कर्ण के सेवापुस्त में लाल स्याही से अंकित की जायेगी। साथ ही विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

सभी सम्बद्ध को सूचित करें।

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

ज्ञापांक 1996 /जि0स्था0, मधुबनी, दिनांक 14 वीं नवम्बर, 2016 ई0।

प्रतिलिपि : श्री सत्येन्द्र कुमार कर्ण, पूर्व लिपिक, जिला सामान्य शाखा, मधुबनी। प्रति– प्रखंड कार्यालय, कलुआही, स्थायी पता– ग्राम+पो0–काको, थाना–झंझारपुर, थाना–स्थान, जिला–मधुबनी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रखंड विकास पदाधिकारी, कलुआही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : वरीय उप समाहर्त्ता, जिला सामान्य शाखा, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी/झंझारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मधुबनी/बेनीपट्टी/जयनगर/फुलपरास/झंझारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिप :– अपर समाहर्त्ता, मधुबनी/उप विकास आयुक्त, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मधुबनी/प्रभारी आई0टी0 मैनेजर, मधुबनी को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

12/11/16

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।